न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु० सीकर

रामचन्द्र V/s TDR धोद प्र.नं. 80/2019

पत्रावली पेश [illegible] उपस्थित है
P.O. Sb. [illegible] / चुनाव [illegible] व्यस्त/
यात्रा पर/अ[illegible] व्यस्त है। [illegible] पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 10/09/21 को पेश हो।

10/09/21 पत्रावली [illegible] है
P.O. Sb. [illegible] व्यस्त/
यात्रा पर/अ[illegible] पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 20/10/21 को पेश हो।

20/10/20 [illegible] है
P.O. Sb. [illegible] व्यस्त/
यात्रा पर/[illegible] पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 01/12/20 को पेश हो।

01/12/20 पत्रावली [illegible] है
P.O. Sb. [illegible] व्यस्त/
यात्रा पर/[illegible] पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 08/01/21 को पेश हो।

08/01/21 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन [illegible] अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 17/02/21 को पेश हो।

17/2/2021 पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम आकवा पटवार हल्का गोठड़ा भूकरान तहसील धोद के खसरा सं. 157 रकबा 0.3800 हेक्टेयर में प्रार्थी हिस्सा 2/9 है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का भोलूराम पुत्र देबू अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम रामचन्द्र पुत्र स्व. देबू है। प्रार्थी आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम रामचन्द्र पुत्र स्व. देबू अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भोलूराम पुत्र देबू के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र देबू राम दुरूस्त किया जावें।

तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील प्रार्थी से सुनी गई। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "रामचन्द्र को बचपन से ग्राम में भोलूराम उर्फ भोलाराम के नाम से जाना जाता था। आवेदक के पिता स्व. देबूराम की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण समय राजस्व रेकॉर्ड में सहवन से नाम भोलूराम अंकित कर दिया गया। ग्रामवासियों एवं भाईयों के बताये अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भोलूराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र देबू राम किया जाना उचित व सही है।" प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थी स्वयं का शपथ–पत्र तथा अन्य दो [illegible] गवाह हरफूल सिंह व बनवारी लाल के शपथ–पत्र पेश किये [illegible] मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत शपथ–पत्र, प्रस्तुत [illegible] के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम आकवा पटवार हल्का गोठड़ा भूकरान तहसील धोद के खसरा सं. 157 रकबा 0.3800 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का भोलूराम पुत्र देबू के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र देबू राम दुरूस्त किये जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithilesh Kumar
Date: 2021.02.22 17:09:28 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.02.22 17:09:28 IST
Reason: SelfAttested